न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

7

जिला – राँची
केस का प्रकार – **विविध वाद (जमाबन्दी निरस्तीकरण)** **Ac TR No. : 52/21–22**
वाद सं0 – 05/19–20 मौजा–लालगंज (कांके)
अर्जीकार :– जगमोहन बडाईक एवं अन्य

.....

बनाम

प्रतिपक्षी :– शिवनाथ महतो एवं अन्य

.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग टिप्पणी
27/7/2022	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। यह अभिलेख विविध वाद संख्या–05/19–20, अंचलाधिकारी काँके, राँची के पत्रांक–786(ii) दिनांक–20.08.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ है। अंचलाधिकारी काँके, राँची के प्रतिवेदनानुसार मामला संदिग्ध जमाबन्दी से संबंधित है। आवेदक, जगमोहन बड़ाईक एवं अन्य बनाम शिवनाथ महतो एवं अन्य के आलोक में मौजा–लालगंज, खाता सं0–42, प्लॉट सं0–717, एवं 723, रकबा–1.00 एकड़ भूमि के आलोक में अंचल अधिकारी, काँके द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या–138 R 27/1990–91 द्वारा पंजी–II के भाग संख्या–02, पृष्ठ संख्या–76 में कायम नामान्तरण/ जमाबन्दी को रद्द करने के निमित अग्रेतर कार्रवाई हेतु यह अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अंचलाधिकारी काँके राँची के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुनवाई हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा डीड संख्या–4309 दिनांक–02.02.1958 एवं डीड संख्या–7919 दिनांक–05.05.1975 प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष के डीड संख्या–4309 में क्रेता का नाम मो० कलीमुद्दीन अंसारी वल्द पुरन अंसारी कौम मोमीन साकिन लालगंज दर्ज है एवं डीड संख्या–7919 में बिक्रेता का नाम शेख अलीमुदीन वल्द शेख पुरन कौम मुस्लिम शेख दर्ज है। दोनों डीड के अनुसार क्रेता तथा बिक्रेता का नाम एवं कौम में अन्तर है। प्रथम पक्ष श्री जगमोहन बड़ाईक के द्वारा कभी भी उक्त भूमि को बिक्री नहीं किया गया है तथा इनका लगान रसीद 2019–20 तक कटा हुआ है एवं अंचल कार्यालय के पत्रांक–801 (ii) दिनांक–21.08.2018 के अनुसार खतियानी रैयत का दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष का जमाबन्दी बुक संख्या–1 पृष्ट संख्या–44 में दर्ज तथा जमाबन्दी वर्ष 1978–79 से लगातार लगान दिया जा रहा है। बंटवारा से पूर्व ही डीड संख्या–4309 निबंधित हुआ है बिक्री दो भाइयों ने किया है जबकि खतियानी रैयत पाँच भाई थे तथा खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि बकब्जे इजमाइल है। द्वितीय पक्ष शेख अलीमुदीन, पिता–शेख पुरन ने गलत ढंग से	

वाद संख्या–12 आर 27/1958–59 में पंजी–।। के बुक संख्या–2, पृष्ट संख्या–78 में जमाबन्दी कायम है एवं ऑनलाईन पंजी–।। में भाग सख्या–2, पृष्ट संख्या–76 में दिखाया जा रहा है एवं द्वितीय पक्ष का दाखिल खारिज वाद संख्या–138 आर 27/1990–91 दिखाया गया है। परन्तु निर्गत लगान रसीद वर्ष 1975–75 से 1990–91 तक है, जो संदेहास्पद है, क्योंकि खतियानी रैयत का वर्ष 1978–79 से लगान रसीद निर्गत हो रहा है। पंजी–।। के भाग संख्या–2, पृष्ट संख्या–78 में शिवनाथ महतो एवं शत्रुधन महतो को उत्तराधिकारी नामान्तरण किया गया है जो गलत है।

चूँकि शेख अलीमुदीन वल्द शेख पूरन एवं मो० कलीमुदीन अंसारी वल्द पूरन अंसारी दोनों राजस्व दस्तावेज के आधार पर अलग–अलग व्यक्ति प्रतीत होते है, जो जाँच का विषय है।

अतः उक्त वाद में अंचल अधिकारी कांके, रांची के द्वारा दिनांकः 03.08.2019, 29.09.2021 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची के द्वारा दिनांकः 02.03.2020, 30.03.2022 को पारित आदेश एवं राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में पंजी–।। के भाग संख्या 2 पृष्ट संख्या 76 पर कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख उपायुक्त/समाहर्त्ता रांची को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2022.08.13 12:25:45 +05:30
Location: 192.168.0.15